पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 जुलाई, 2010 ई0 (श्रावण 02, 1932 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगर निगम, देहरादून

16 जुलाई, 2010 ई0

पत्रांक 192–नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541(42) के अन्तर्गत तैयार की गई, ''नगर निगम, देहरादून की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2009'' जिसका पांडुलेख नगर निगम, देहरादून के अधिवेशन दिनांक 03–05–2010 में प्रस्ताव सं0 02 के माध्यम से रखा गया एवं सर्वसम्मति से पारित हुआ।

मैं इन्दुधन बौड़ाई, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2009 के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत गजट नोटिफिकेशन की तिथि से निम्नानुसार लागू करता हूं :–

नगर निगम, देहरादून की नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2009

1–यह उपविधि नगर निगम की ''नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2009'' कहलायेगी।

2–यह उपविधि नगर निगम देहरादून के समस्त क्षेत्र में प्रभावी होगी।

3–यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

4–परिभाषायें–

''नगरीय ठोस अपशिष्ट'' के अन्तर्गत औद्योगिक प्रसिंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(i) ''उपविधि'' से तात्पर्य नगर निगम, अधिनियम 1959 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि से है।

(ii) ''नगर निगम'' से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के लिए संगठित नगर निगम, से है।

(iii) ''मुख्य नगर अधिकारी'' से तात्पर्य नगर निगम, अधिनियम, 1959 की धारा 58 के अधीन नियुक्त मुख्य नगर अधिकारी से है।

(iv) ''स्वास्थ्य अधिकारी'' से तात्पर्य नगर निगम, देहरादून में शासन द्वारा तैनात वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी/नगर स्वास्थ्य अधिकारी से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर निगम के उस अधिकारी/कर्मचारी से है, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या मुख्य नगर अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(v) ''निरीक्षण अधिकारी'' का तात्पर्य मुख्य नगर अधिकारी, अपर मुख्य नगर अधिकारी, उप नगर अधिकारी, सहायक नगर अधिकारी, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, जोनल सेनेटरी अधिकारी, मुख्य सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है जिन्हें समय–समय पर मुख्य नगर अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया हो।

(vi) ''नियम'' से तात्पर्य भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 648, नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये से है।

(vii) ''अधिनियम'' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड, नगर निगम, अधिनियम, 1959 से है।

(viii) ''जीव नाशित/जैव निम्नकरणीय/जैविक अपशिष्ट (Biodegradable Waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे–बचा हुआ खाना, सब्जी–फल के छिलके, फूल–पौधों के पत्ते आदि।

(ix) ''जीव अनाशित अपशिष्ट'' (Non-Biodegradable Waste) का तात्पर्य ऐसे कूड़ा–कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा–कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है।

(x) ''पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट'' (Recyclable Waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो दुबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा किसी विधि से परिवर्तन उपरान्त प्रयोग में आ सकता हो जैसे–प्लास्टिक, पॉलिथीन, कागज, धातु, रबड़ आदि।

(xi) ''जैवचिकित्सीय अपशिष्ट'' (Biomedical Waste) से कोई अपशिष्ट अभिप्रेत है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उनसे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रिया कलापों या जैविकों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ है।

(xii) ''संग्रहण'' (Collection) से तात्पर्य अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

(xiii) "कचरा खाद बनाने" (Composting) से एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है।

(xiv) "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट" (Demolition and Construction Waste) से सन्निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्‌भूत अपशिष्ट अभिप्रेत है।

(xv) "व्ययन" (Disposal) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

(xvi) "अपशिष्टों के उत्पादक" (Generator of Waste) से नगरीय ठोस अपशिष्ट का उत्पादन करने वाले व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत हैं।

(xvii) "भूमिभरण" (Landfilling) से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृत्तक, ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपायों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अवशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमिभरण पर निपटान अभिप्रेत है।

(xviii) "निक्षालितक" (Leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्षण किया है।

(xix) "नगर पालिका प्राधिकारी" (Municipal Authority) से म्युनिसिपल कार्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, नगरनिगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

(xx) "स्थानीय प्राधिकारी" (Local Authority) का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत से है।

(xxi) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" (Municipal Solid Waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(xxii) "सुविधा के परिचालक" (Operator of a Facility) से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण भी आता है जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और हथालन के लिए नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये या पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है।

(xxiii) "पुनः चक्रण" (Recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथकरण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तित करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

(xxiv) "पृथक्करण" (Segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों में अलग–अलग करना अभिप्रेत है।

(xxv) "भण्डारण" (Storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बा बन्द किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्यधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(xxvi) "परिवहन" (Transportation) से विशेष रूप से डिजायन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखेरने, रोग वाहकों की पहुंच से रोका जा सके।

5–कोई भी व्यक्ति/स्थापन (Establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगर निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

6–नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ादान रखेगा, जिनमें से एक में जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

7–नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर निगम के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगर निगम के कर्मचारी/सुविधा के प्रचालक (Operator of a Facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें जो समय–समय पर संशोधित की जा सकेंगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) लिये जायेंगे।

8–नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर निगम से सम्पर्क कर निगम द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User Charges) भुगतान करेगा।

9–नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहां तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े को परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहां ऐसा सम्भव न हो नगर निगम से सम्पर्क कर निगम द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User Charges) भुगतान करेगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

10–नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) अपिशष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा के प्रचालक को देना होगा।

11–नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन और हस्तन) नियम, 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

12–नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्टों को न जलायेगा और न जलवायेगा।

13–नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथककरण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा।

14–निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर पाये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठवाने की आवश्यकता समझी जाती है जो मासिक यूजर चार्जेज के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगर निगम/सुविधा के प्रचालक द्वारा तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेज वसूल किया जा सकेगा। जिसकी प्राप्ति रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी। यह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में निगम कोष/सुविधा के प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

15–अनुसूची में दी गयी दरों में द्विवार्षिक 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना रु0 5/– के पूर्णांक में की जायेगी।

16–उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेज में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

17–इस उपविधि के अन्तर्गत नगर निगम को देय धनराशि नगर निगम अधिनियम, 1959 के अध्याय 21 में उपबन्धित रीति से वसूल किये जा सकते हैं।

18–उपरोक्त किसी भी प्राविधान की अवहेलना करने पर प्रथम दोष सिद्धि के लिए रु0 500/– तक अर्थदण्ड तथा अवहेलना जारी रहने पर रु0 20/– प्रतिदिन का अर्थदण्ड देय होगा।

अनुसूची–1 सेवा शुल्क (User Charges) बोर्ड बैठक दि0 30–09–2009 द्वारा निर्धारित

	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) की प्रस्तावित राशि रु0 में
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर (बीपीएल कार्ड धारक)	कच्ची झोपड़ी रु0 5.00, पक्का मकान रु0 10.00

अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार		प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) की प्रस्तावित राशि रु0 में
2.	कम आय वाले घर (बीपीएल कार्ड धारक के अतिरिक्त रु0 5000.00 प्रतिमाह तक आय वाले घर)	रु0 20.00
3.	मध्यम आय वाले घर (रु0 5000.00 से अधिक रु0 10000.00 तक प्रतिमाह आय वाले घर)	रु0 30.00
4.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	रु0 40.00
5.	सब्जी एवं फल विक्रेता	ठेली पर फेरी में रु0 5.00 प्रतिदिन, दुकान/फड़ पर रु0 100.00
6.	मांस एवं मछली विक्रेता	न्यूनतम 150 रु0 10 कि0ग्रा0 तक, उससे अधिक पर रु0 01.00 प्रति कि0ग्रा0 प्रतिदिन अतिरिक्त
7.	रेस्टोरेन्ट	छोटे रु0 150.00, मध्यम रु0 400.00 तथा बड़े रु0 1000.00
8.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाऊस	20 बेड तक रु0 100.00, 21 बेड से 40 बेड तक रु0 200.00 एवं 41 से अधिक बेड तक रु0 300.00
9.	धर्मशाला	रु0 01.00 प्रति कमरा प्रतिमाह
10.	बारातघर (चेरिटेबिल) बारात घर (नॉन–चेरिटेबिल)	रु0 100.00 प्रति उत्सव रु0 300.00 प्रति उत्सव
11.	बेकरी	रु0 150.00
12.	कार्यालय	50 कर्मचारियों तक रु0 100.00, 51 से 100 कर्मचारियों तक रु0 200.00, 101 से 300 कर्मचारियों तक रु0 300.00 तथा उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय रु0 500.00

अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार		प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) की प्रस्तावित राशि रु0 में
13.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)	100 बेड तक के लिए रु0 1000.00, उससे अधिक रु0 10.00 प्रति बेड अतिरिक्त
14.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)	500 विद्यार्थियों तक रु0 500.00, उससे अधिक रु0 1000.00
15.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	20 बेड तक रु0 250.00, 21 बेड से 40 तक रु0 500.00 एवं 41 से 100 बेड तक रु0 1000.00, उससे अधिक रु0 1500.00
16.	क्लीनिक/पैथोलोजी	क्लीनिक रु0 75.00, पैथोलोजी रु0 250.00
17.	दुकान/चाय की दुकान	मौहल्ले की छोटी दुकान रु0 20.00, बाजार की दुकान रु0 50.00, शोरूम रु0 150.00, छोटे मॉल रु0 500.00 बहुमंजिलें मॉल रु0 1000.00, अपने मकान के कमरे में खुली छोटी दुकान निःशुल्क
18.	फैक्ट्री	छोटी रु0 300.00, मध्यम रु0 500.00, बड़ी रु0 1000.00
19.	वर्कशॉप	छोटी रु0 200.00, बड़ी रु0 500.00
20.	कबाड़ी	छोटे रु0 100.00, बड़े रु0 300.00
21.	जूस/गन्ने का रस विक्रेता	रु0 5.00 प्रतिदिन
22.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	रु0 300.00, होटलों में विवाह रु0 1000.00 प्रति उत्सव
23.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	0.50 घन मी0 तक रु0 100.00, 1.0 घन मी0 तक रु0 200.00, 3.0 घन मी0 तक रु0 500.00, 6.0 घन मी0 तक रु0 1000.00, इससे अधिक प्रति घन मी0 रु0 100.00 अतिरिक्त
24.	सिनेमा हॉल	रु0 300.00 प्रतिमाह

अनुसूची–2 अपशिष्टों की श्रेणी

जैविक (Biodegradable) अपशिष्ट	पुनःचक्रणीय (Recyclable) अपशिष्ट	घरेलू परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्ट
हर प्रकार का पका, बिना पका हुआ खाद्य अपशिष्ट जिसमें अण्डे के छिलके एवं हडिड्यां भी हो सकती हैं	कागज तथा हर प्रकार का प्लास्टिक	एरोसोल कैन
सब्जी एवं फलों के छिलके, फूल एवं घरेलू पौधों का कूड़ा	कार्ड बोर्ड तथा कार्टन	बटन सैल, फ्लैशलाईट/कार बैटरी
घरेलू झाड़ू से निकली गन्दगी	हर प्रकार की पैकिंग	ब्लीचें, घरेलू रसोई तथा नाली सफाई का सामान
सेनेटरी टॉवल	हर प्रकार के डिब्बे (परिसंकटमय को छोड़कर)	ऑयल फ़िल्टर तथा कार सुरक्षा के उत्पाद
बच्चों के डायपर	हर प्रकार का कांच/धातु/रबड़/लकड़ी	रसायन तथा उनके खाली डिब्बे, सौन्दर्य प्रसाधन तथा उनके खाली डिब्बे
	फाईल, पुड़िया, ट्रेटापैक, कैसेट, कम्प्यूटर डिस्केट, इलैक्ट्रॉनिक पुर्जे, खराब कपड़े, फर्नीचर आदि	इन्जेक्शन, सुई तथा सिरिंज, खराब दवाईयां, कीटनाशक तथा उनके डिब्बे लाईट बल्व, ट्यूब लाईट तथा छोटे फ्लोसेन्ट बल्ब थर्मामीटर एवं अन्य पारे वाले उत्पाद पेन्ट, तेल, गोंद, थिनर तथा उनके डिब्बे फोटोग्राफी के रसायन।

इन्दुधर बौड़ाई,
मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।